पत्रांक : वित्त–20 / विविध–09 / 2016 3245 / वि०

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 07/10/2017

विषय : **बैंक खातों में संधारित सरकारी राशि के संबंध में दिशा– निदेश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा कतिपय विभागों को विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में रखने की अनुमति दी गई है। DBT के सुविधा के लिए भी बैंक खातों के माध्यम से राशि के अंतरण की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त महालेखाकार के द्वारा भी यह संज्ञान में लाया गया है कि कार्य प्रमंडलों में भी बैंक खाते रखे जा रहे हैं, जिनके लिए वित्त विभाग से पूर्वानुमति नहीं ली गई है। सरकारी राशि योजना–सह–वित्त विभाग के अनुमति के बगैर बैंक खाते में किसी भी परिस्थिति में नहीं रखी जानी है।

2. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में भारत सरकार के निदेशों के आलोक में योजनाओं की राशि भी बैंक खातों के माध्यम से खर्च करने की यद्यपि वित्त विभाग ने सहमति दी है तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि बैंक खातों में रखी गई राशि लम्बी अवधि तक अव्यवहृत (unspent) रखी जाय। सरकारी राशि का व्यय सदैव ही तात्कालिक होता है। प्रत्येक स्थिति में वित्तीय वर्ष के अन्दर ही राशि का व्यय किया जाना आवश्यक है तथा अव्यवहृत (unspent) राशि को प्रत्यर्पित करना है।

3. सरकारी राशि को बैंक खातों में रख कर व्यय करने की व्यवस्था राजकोषीय वित्तीय प्रबंधन के हित में नहीं होती है। इसके अलावे सरकारी राशि के दुर्विनियोग एवं छलपूर्ण निकासी की भी सम्भावना बनी रहती है चूँकि बैंक से राशि की निकासी में अभिश्रवों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही एक वित्तीय वर्ष की राशि अगले वित्तीय वर्षों में व्यय की जाती है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पारित विनियोग विधेयकों के प्रतिकूल है।

4. सरकारी राजकोष की संरचना ऐसी है कि इसमें राजस्व प्राप्तियों, संस्थागत ऋण, खुले बाजार से उधार आदि कई components शामिल है। ऐसी स्थिति में सरकारी राशि संचित निधि से अलग बैंक खातों में अव्यवहृत (unspent) रखी जाती है तो यह राज्य के वित्तीय हित के प्रतिकूल होता है।

5. महालेखाकार द्वारा निरंतर रेखांकित किए जाने वाले तथ्यों में लंबित DC Bill तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लिए अव्यवहृत (unspent) राशि भी एक बड़ा कारक है जिसके फलस्वरूप समायोजन लंबित चल रहा है।

6. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिपथ में निदेश है कि निम्नांकित रूप से कार्रवाई की जाय :–

(i) अपने विभाग के अधीनस्थ सभी DDO's से यह सुनिश्चित कराया जाय कि योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) की अनुमति के बगैर संचालित बैंक खातों को अविलम्ब बन्द कराकर उसकी राशि सरकारी कोष में जमा कराया जाय।

(ii) जिन बैंक खातों को योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) की अनुमति से खोला गया है उनमें भी निकासी में पूर्ण सतर्कता बरती जाय। इसके लिए बैंक खाता संचालन करने वाले पदाधिकारी एवं उनके Immediate Controlling Officer प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

(iii) वित्तीय वर्ष के अन्त होने पर योजना मद की अवशेष राशि राजकोष में जमा कराई जाय।

(iv) बैंक खातों से कार्य एजेन्सी के लिए अग्रिम राशि की निकासी बैंक गारन्टी के विरूद्ध ही की जाय।

(v) सरकारी राशि के व्यय में किसी भी विचलन/हानि के लिए संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग को अविलम्ब अवगत कराया जाय।

(vi) विभागान्तर्गत सभी कार्यालयों में संचालित विभिन्न बैंक खाते में रखी राशि का तथा व्यय के संबंध में अर्द्धवार्षिक/वार्षिक अंकेक्षण विभागीय स्तर पर की जाय।

(vii) योजनाओं की राशि (विधायक योजना को छोड़कर) जो बैंक खातों में विगत वर्षों से अव्यवहृत (unspent) राशि पार्क राशि कर रखी गई है उसे समुचित प्राप्ति शीर्ष में जमा कराया जाय।

(viii) लंबित DC Bills एवं लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सामंजन के संदर्भ में बैंक खातों/ P.L. खातों में जमा राशि की योजनावार समीक्षा कर अव्यवहृत (unspent) राशि को सरकारी कोष में जमा कराया जाय।

(ix) सभी विभागों एवं विभागान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/स्थापनाओं के लिए **दिनांक 16.10.2017** तक बैंक खातों के संबंध में निम्नांकित प्रपत्रों में सूचना देना अनिवार्य होगा :–

प्रपत्र–I : प्रमाणित किया जाता है कि इस विभाग/कार्यालय में सरकारी राशि के संधारण के लिए कोई बैंक खाता संचालित नहीं है।

प्रपत्र–II : यदि कोई बैंक खाता संधारित है तो प्रपत्र–II में प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

कार्यालय का नाम	प्रशासी विभाग	बैंक खाता सं.	बैंक शाखा का नाम	IFSC कोड	खाता/खातों में जमा अद्यतन शेष	खाता खोलने का प्रयोजन	खाता खोलने के लिए वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8

अतः अनुरोध है कि सभी अधीनस्थ DDOs को उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश विभागीय स्तर से भी निर्गत करने की कार्रवाई करें तथा समेकित विभागीय प्रतिवेदन दिनांक 16.10.2017 तक योजना–सह–वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

विश्वासभाजन,

7.10.2017

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।